

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :— प. 19 (3) सा.प्र./ग्रुप-4/16

जयपुर, दिनांक 14/10/16

मुख्य अभियन्ता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान, जयपुर।

विषय:—तृतीय श्रेणी के राजकीय आवास में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित तृतीय श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि 7.01 लाख (अक्षरे सात लाख एक हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्रम संख्या	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि लाखों में	राशि लाखों में
1	अंजू हर्ष ई-739 गांधीनगर	1 Const. of Compound wall	1.87	1.87
2	सरोज मीणा ई-743 गांधीनगर	1. Renovation of Kitchen & Bathroom	0.69	0.69
3	अरविन्द कुमार जैमन ई-746 गांधीनगर	1.Jali door 2. Raising of C/Wll 3. Renovation of Bath	0.16 0.24 0.40	0.80
4	डॉ.मनीष अरोड़ा ई-747 गांधीनगर	1. Const. of Compound wall in between qtrs.	1.45	1.45
5	सतीश कुमार सैनी 3/42 गांधीनगर	1.Renovation of Kitchen 2. Renovation of Bath	0.40 0.40	0.80
6	अजय जाट 3/57 गांधीनगर	1. Flooring work 2. Renovation of Kitchen 3. Renovation of Bath 4. Ceiling Plaster	0.16 0.60 0.40 0.04	1.20
7	अनिता कौशिक 3/61 गांधीनगर	1.Renovation of Kitchen Cubord shutter 2. P/F steel Almirah coverd shutter	0.07 0.13	0.20

यह व्यय बजट मद 2216—आवास (हाउसिंग) 05—साधारण पूल आवास, 800— अन्य व्यय (01) निर्माण [07] तृतीय एवं चतुर्थ व उनके समकक्ष श्रेणी के अन्य आवासों के लिये, 16—लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि संबंधित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्पलीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक
स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा अपेक्षित विभाग के परिपत्र कमाक (184)
SE(B)/Circulars/ C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार
कार्य करवाया जाए।

भवदीय,

sd-
(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकितं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-गा, जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विधुत खण्ड-गा, जयपुर
5. संबंधित आवासी।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव